भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 2352
(सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दंडित कंपनियां

2352. डॉ. कल्याण वैजीनाथराव कालेः

क्या **कारपोरेट मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019-2025 के बीच कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के तहत गैर-अनुपालन के लिए दंडित कंपनियों की वर्ष/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान लगाए गए जुर्माने की कुल संख्या और वसूली गई राशि कितनी है;
(ग) वर्ष 2020 से अब तक वैधानिक विवरणी दाखिल न करने के कारण कंपनियों के रजिस्टर से हटाई गई कंपनियों की वर्ष-वार संख्या कितनी है; और
(घ) क्या सरकार ने कारपोरेट शासन और अनुपालन स्तर में सुधार के संबंध में इन प्रवर्तन उपायों के प्रभाव की कोई समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): वर्ष 2019 और 2025 के बीच कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के गैर-अनुपालन हेतु दंडित की गई कंपनियों की कुल संख्या का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख): वर्ष 2019 से 2025 तक लगाए गए जुर्माने की कुल संख्या और वसूल की गई कुल राशि अनुलग्नक-II (क और ख) में दी गई है।

(ग): इस मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1) के अंतर्गत ऐसी कंपनियों को बंद करने के लिए स्ट्राइक-ऑफ अभियान चलाया है जो तत्काल पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए कोई व्यवसाय या प्रचालन नहीं कर रही थीं और जिन्होंने अधिनियम की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसी अवधि के भीतर कोई आवेदन नहीं किया था या ज्ञापन के अभिदाताओं ने अभिदान का भुगतान नहीं किया है जिसका उन्होंने एक कंपनी के निगमन के समय भुगतान करने का वचन दिया था और अधिनियम की धारा 10 (ए) की उप-धारा (1) के तहत इसके निगमन के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर इस आशय की घोषणा नहीं की गई है या कोई व्यवसाय या संचालन नहीं कर रहा था, जैसा कि अधिनियम की धारा 12 (9) के तहत किए गए भौतिक सत्यापन के बाद पता चला है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को स्वैच्छिक रूप से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन भी किए जाते हैं। 2020 से, धारा 248(1) और 248(2) के तहत हटाई गई कंपनियों का वर्षवार विवरण, जिसमें सांविधिक विवरण फाइल न करने वाली कंपनियां शामिल हैं, अनुलग्नक-III में दिए गए हैं।

(घ): अधिनियम छोटे और बड़े दोनों उल्लंघनों का समाधान करने के लिए एक विस्तृत ढांचा का प्रावधान करता है, जिसमें लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों, सांविधिक फाइलिंग, बोर्ड और इसकी समितियों के कर्तव्यों, स्वतंत्र निदेशकों और लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों और अनिवार्य प्रकटीकरण का पालन शामिल है। प्रवर्तन कार्रवाइयां - जैसे कि न्यायनिर्णयन आदेश, कंपाउंडिंग आदेश और अदालत की दोषसिद्धि - ने अनुपालन न करने के लिए ऐसी कंपनियों को दंडित किया है। इन उपायों ने जवाबदेही बढ़ाने, शासन कार्यप्रणालियों को मजबूत करने और कारपोरेट अनुपालन व्यवहार में समग्र सुधार में योगदान दिया है।

****

दिनांक 15.12.2025 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2352 के पैरा 'क' से संदर्भित अनुलग्नक ।

गैर-अनुपालनीय के लिए दंडित की गई कंपनियों की कुल संख्या							
क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	5	0	8	136	21	7
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
4	असम	0	2	4	4	6	9
5	बिहार	25	3	14	55	38	23
6	चंडीगढ़	0	0	2	0	0	3
7	छत्तीसगढ़	0	0	19	7	63	21
8	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	1	2	0
9	दमन और दीव	7	0	0	0	1	1
10	दिल्ली	103	52	31	110	137	139
11	गोवा	101	0	2	8	1	6
12	गुजरात	25	5	47	152	169	57
13	हरियाणा	6	2	5	29	41	15
14	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	2	0
15	जम्मू और कश्मीर	1	0	0	2	7	0
16	झारखंड	0	0	0	0	0	1
17	कर्नाटक	112	89	98	66	93	202
18	केरल	246	24	56	74	79	27
19	लद्दाख	0	0	0	0	0	0
20	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	16	14	36	40	71	23
22	महाराष्ट्र	45	10	52	75	119	174
23	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
24	मेघालय	0	0	0	0	1	0
25	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
26	नगालैंड	0	0	0	0	0	0
27	ओडिशा	39	4	43	89	38	15
28	पांडिचेरी	0	0	1	10	3	8
29	पंजाब	0	0	3	0	5	0
30	राजस्थान	31	6	17	60	85	57
31	तमिलनाडु	22	3	15	101	57	140
32	तेलंगाना	20	15	22	21	7	38
33	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	31	0	22	3	21	79
35	उत्तराखंड	0	0	0	1	7	14
36	पश्चिम बंगाल	78	59	120	157	119	129
	कुल	**913**	**288**	**617**	**1201**	**1193**	**1188**

दिनांक 15.12.2025 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2352 के पैरा 'ख' से संदर्भित अनुलग्नक II क

कुल अधिसूचित जुर्माना और वसूली गई रकम (रुपये में)							
क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2019-2020		2020-21		2021-22	
		अधिसूचित जुर्माना	वसूली गई राशि	अधिसूचित जुर्माना	वसूली गई राशि	अधिसूचित जुर्माना	वसूली गई राशि
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	6,91,000	4,96,200	0	0	55,38,750	20,41,950
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
4	असम	0	0	4,00,000	4,00,000	10,88,000	10,88,000
5	बिहार	1285000	0	1231100	0	3160000	0
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	15174	0
7	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	6224000	24000
8	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
9	दमन और दीव	5103600	196850	0	0	0	0
10	दिल्ली	2691000	388000	5817300	2378900	8547500	282900
11	गोवा	45462000	1746055	0	0	0	0
12	गुजरात	734500	6000	886000	160000	34524100	4241000
13	हरियाणा	600000	0	125000	125000	1629000	110000
14	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
15	जम्मू और कश्मीर	400000	0	0	0	0	0
16	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17	कर्नाटक	3,85,90,600	1,32,80,740	2,69,62,000	1,78,92,500	5,90,87,758	1,99,00,758
18	केरल	2,29,45,000	44,96,850	0	0	0	0
19	लद्दाख	0	0	0	0	0	0
20	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	2840000	120000	2060000	565000	5764000	1402000
22	महाराष्ट्र	16266000	18,45,000	17143400	1611500	29822500	12745800
23	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
24	मेघालय	0	0	0	0	0	0
25	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
26	नगालैंड	0	0	0	0	0	0
27	ओडिशा	18100600	20000	1156000	0	8532400	459000
28	पांडिचेरी	0	0	0	0	51000	51000
29	पंजाब	0	0	0	0	3620300	0
30	राजस्थान	265200	0	20000	15000	3485500	296000
31	तमिलनाडु	4,97,63,500	42,82,220	29,60,000	29,60,000	55,28,740	8,38,700
32	तेलंगाना	5767200	4874200	463200	463200	3893600	3133600
33	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	10100000	130000	0	0	8224000	0

35	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
36	पश्चिम बंगाल	1047500	32500	1639100	0	1500000	185000
	कुल	**222652700**	**31914615**	**60863100**	**26571100**	**190236322**	**46799708**

दिनांक 15.12.2025 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2352 के पैरा 'ख' से संदर्भित अनुलग्नक II ख

कुल अधिसूचित जुर्माना और वसूली गई राशि (रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2022-2023		2023-2024		2024-2025	
		अधिसूचित जुर्माना	वसूली गई राशि	अधिसूचित जुर्माना	वसूली गई राशि	अधिसूचित जुर्माना	वसूली गई राशि
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	16,31,05,200	3,58,11,260	3,68,65,400	43,57,400	84,33,800	15,45,000
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
4	असम	7,58,190	7,58,190	16,27,650	8,39,350	92,39,300	4,15,000
5	बिहार	28471650	534400	28300300	342000	23871400	911050
6	चंडीगढ़	0	0	3353500	0	3353500	992000
7	छत्तीसगढ़	2051000	150080	25581200	1115000	6796375	286675
8	दादरा और नगर हवेली	6000	0	177600	0	0	0
9	दमन और दीव	0	0	400000	400000	190000	190000
10	दिल्ली	22322600	5665750	13910002	4470000	46137650	9430918
11	गोवा	4675200	900000	0	0	34897600	34897600
12	गुजरात	44563750	6731800	40927650	7488050	71426848	9035900
13	हरियाणा	4855842	1138000	8498923	6150718	76407600	4080800
14	हिमाचल प्रदेश	0	0	4878850	0	0	0
15	जम्मू और कश्मीर	2004000	404000	8397200	0	0	0
16	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	500000	500000
17	कर्नाटक	3,36,45,879	1,37,05,429	9,04,29,110	3,52,31,241	17,44,69,310	6,55,92,558
18	केरल	40000	40000	51,72,200	4,50,000	1,49,04,100	11,63,000
19	लद्दाख	0	0	0	0	0	0
20	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	5402400	1903400	78871800	948500	17263100	727250
22	महाराष्ट्र	28090900	20662500	157610420	38400800	136056493	57862710
23	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
24	मेघालय	0	0	15,00,000	2,30,000	0	0
25	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
26	नगालैंड	0	0	0	0	0	0
27	ओडिशा	9158300	160000	7431600	6331600	8860700	416500
28	पांडिचेरी	40,11,900	20000	41,15,000	80000	1,49,54,000	18,00,000
29	पंजाब	0	0	4329500	0	0	0
30	राजस्थान	14918050	1469500	16671000	4366150	47165400	7398380
31	तमिलनाडु	9,27,75,620	80,49,700	6,10,48,106	18,59,400	14,19,82,609	90,97,800

32	तेलंगाना	**20814382**	**10386484**	**25693450**	**3471250**	**23148400**	**14499420**
33	त्रिपुरा	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	उत्तर प्रदेश	**2292600**	**0**	**23871600**	**50000**	**197838700**	**7872900**
35	उत्तराखंड	**250000**	**0**	**993000**	**280000**	**843400**	**616400**
36	पश्चिम बंगाल	**28808200**	**7439200**	**27839000**	**6832800**	**14244800**	**15723700**
	कुल	**513021663**	**115929693**	**678494061**	**123694259**	**1072985085**	**245055561**

दिनांक 15.12.2025 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2352 के पैरा 'ग' से संदर्भित अनुलग्नक **III**

हटाई गई कंपनियों की संख्या							
क्र.सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**2020-2021**	**2021-2022**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**कुल योग**
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	2	3	53	6	3	**67**
2	आंध्र प्रदेश		1354	2401	400	224	**4379**
3	अरुणाचल प्रदेश	3	27	32	4	2	**68**
4	असम	65	361	587	90	86	**1189**
5	बिहार	184	1771	2812	185	176	**5128**
6	चंडीगढ़	169	461	303	51	89	**1073**
7	छत्तीसगढ़	47	324	445	67	97	**980**
8	दादरा और नगर हवेली	1	14	13	1	2	**31**
9	दमन और दीव	2	5	12	12	5	**36**
10	दिल्ली	1972	5165	16046	2151	2372	**27706**
11	गोवा	34	213	184	78	72	**581**
12	गुजरात	252	3400	2626	665	891	**7834**
13	हरियाणा	408	1076	4813	585	732	**7614**
14	हिमाचल प्रदेश	201	260	303	27	70	**861**
15	जम्मू और कश्मीर		322	450	29	30	**831**
16	झारखंड	136	974	886	185	92	**2273**
17	कर्नाटक	1025	6100	4339	2317	1615	**15396**
18	केरल	956	2121	1558	459	508	**5602**
19	लद्दाख		5	5			**10**
20	लक्षद्वीप	1			2		**3**
21	मध्य प्रदेश	107	541	2427	446	358	**3879**
22	महाराष्ट्र	2250	11657	12045	3276	3290	**32518**
23	मणिपुर	4	51	147	4	6	**212**
24	मेघालय	10	29	21	7	2	**69**
25	मिजोरम		9	18	2		**29**
26	नगालैंड	2	19	27	6	3	**57**
27	ओडिशा	75	1013	1330	81	159	**2658**
28	पांडिचेरी	35	80	82	18	22	**237**
29	पंजाब	330	902	926	125	211	**2494**
30	राजस्थान	505	1704	1902	426	572	**5109**
31	तमिलनाडु	1294	6071	4662	964	1179	**14170**
32	तेलंगाना	693	4991	3795	1763	860	**12102**
33	त्रिपुरा	3	27	91	4	8	**133**
34	उत्तर प्रदेश	1934	1594	12079	1234	1046	**17887**

35	उत्तराखंड		244	960	73	133	**1410**
36	पश्चिम बंगाल	4	9338	3682	721	922	**14667**
	कुल योग	**12704**	**62226**	**82062**	**16464**	**15837**	**189293**